भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3784

18.12.2024 को उत्तर देने के लिए

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से माल और सेवा कर हटाना

3784. श्री दरोगा प्रसाद सरोजः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) निधि से माल और सेवा कर (जीएसटी) हटाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एमपीलैड के अंतर्गत प्रदान की गई निधि विधायकों को दी जाने वाली निधि के बराबर है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) जी, नहीं।

(ख) कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार के आधार पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अलग-अलग होता है। यह सरकार द्वारा स्थापित नियमों और विनियमों के एक समूह द्वारा शासित होता है।

(ग) और (घ) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स), के अंतर्गत प्रत्येक माननीय संसद सदस्य को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये की राशि दी जाती है।

विधान सभा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलएलैड्स) के सदस्यों की वार्षिक हकदारी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती है और यह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के आधिकार क्षेत्र में आती है।

******